

# मा० कांशीराम राजकीय महाविद्यालय सद्दीकनगर, नन्दग्राम, गाजियाबाद (उ०प्र०)

## **VISION**

To provide low cost quality education to the students of socio-economically weaker section of the area, in order to bridge the rural-urban divide and thus bring about holistic national development.

## **परिकल्पना**

महाविद्यालय को एक ऐसे शैक्षिक संस्थान के रूप में स्थापित करना जहाँ अध्यापन की गुणवत्ता के साथ नवाचार को प्रोत्साहन मिले। छात्र-छात्राओं के समग्र विकास के लिए कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान कर ग्रामीण एवं शहरी विभेदों को दूर करना जिससे एक जीवंत वातावरण का सृजन, राष्ट्र का विकास एवं मूल्यवान वैश्विक नागरिकों का निर्माण हो सके।

## **MISSION**

As a unit of Uttar Pradesh Government higher education, 'Manyavar Kanshiram Government Degree College, Nandgram, Ghaziabad' is Engaged in the pursuit of academic excellence, in order to achieve the empowerment of youth in the adjoining area by:

- The development of leadership skills, inner strength and self reliance.
- Inculcate moral values and Tolerance .
- Making new technological innovations available to the target group to prepare them to face national and global challenges.

## संकल्प

उ०प्र० उच्च शिक्षा की ईकाई के रूप में मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, सददीकनगर, नन्दग्राम, गाजियाबाद “ ग्रामीण पिछड़ी बस्ती परिवेश के छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता युक्त तथा उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराता है जिससे एक स्वस्थ एवं बेहतर शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उद्यमशीलता एवं कौशल विकास हेतु भी छात्र- छात्राओं को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान कृत संकल्प है।

- छात्र-छात्राओं में आत्मबल, आत्मनिर्भरता एवं सशक्त नेतृत्व क्षमता को विकसित करना।
- उनमें नैतिक मूल्यों के माध्यम से उदारता एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना।
- वर्तमान राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों को स्वीकारने एवं उनका सामना करने के लिए नवीन तकनीकी एवं नवाचारों द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।

मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, सददीकनगर, नन्दग्राम, गाजियाबाद उ०प्र०-201003  
दूरभाष: 0120-2964008

Website: [www.mkrgc.in](http://www.mkrgc.in), E-mail- [info@mkrgc.in](mailto:info@mkrgc.in)

सददीकनगर, नन्दग्राम, गाजियाबाद जनपद का शैक्षिक दृष्ट से पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के प्रचार- प्रसार व उच्च शिक्षा को सुगम बनाने एवं सुलभ कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 10 मई, 2008 को इस महाविद्यालय की स्थापना गई। यहाँ स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों के पठन-पाठन का कार्य संचालित हो रहा है।

महाविद्यालय का लक्ष्य उच्च शिक्षा के पारम्परिक क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सामान्य शुल्क पर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है।

महाविद्यालय का ध्येय समस्त प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को समान रूप से गुणात्मक उच्च शिक्षा प्रदान करना एवं उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। शिक्षा की सुगम सुलभता

एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप सार्थक होना ही महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का लक्ष्य है।

- महाविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 1.95 हैक्टेयर है।
- महाविद्यालय का स्थापना वर्ष 2008 है।
- महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश राज्य का एक शासकीय महाविद्यालय है जिसका सम्पूर्ण प्रबंधन उ०प्र० शासन के आदेशों के अन्तर्गत संचालित होता है।
- महाविद्यालय को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की सम्बद्धता प्राप्त है।
- महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक F-No.8-222/2013 (CCP-I/C) Dated 10 June, 2013 एफ एवं 12 बी के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
- महाविद्यालय शिक्षकों का चयन उत्तर-प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। समस्त प्राध्यापक, उ०प्र० शासन के समूह "क" के राजपत्रित अधिकारी होते हैं। गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती उच्च शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० प्रयागराज द्वारा शासकीय स्तर पर समय-समय पर की जाती है।

## कला संकाय के विषय

प्रवेश— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020/ विश्वविद्यालय के नियमानुसार

कला संकाय के विषय	स्वीकृत सीट
अंग्रेजी साहित्य	60*
हिन्दी साहित्य	60*
इतिहास	60*
राजनीति विज्ञान	60*
दर्शन शास्त्र	60*
गृह विज्ञान	60*
संगीत (गायन)	60*

नोट-\* एक विषय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है ।

संबंधित विषय में योग्यता क्रम के आधार पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा। अधिकतम दो साहित्य विषयों का ही चयन किया जा सकेगा। आवन्तित विषय में प्रवेश उपरान्त परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

## वाणिज्य संकाय—बी0 कॉम0

### स्वीकृत सीट—80

प्रवेश— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020/ विश्वविद्यालय के नियमानुसार

जिन छात्र-छात्राओं ने इण्टरमीडिएट परीक्षा बिना वाणिज्य का अध्ययन किए उत्तीर्ण की है, उन पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम अनुमन्य होंगे।

## विज्ञान संकाय—बी0एस0सी0

प्रवेश— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020/ विश्वविद्यालय के नियमानुसार

वर्ग	स्वीकृत सीट	विषय
------	-------------	------

जीव विज्ञान वर्ग	40	रसायन विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान
गणित वर्ग	40	रसायन विज्ञान	भौतिक विज्ञान	गणित

# सीटों की संख्या विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** के निर्देशानुसार स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक सेमेस्टर में एक को-करिकुलर पेपर का अध्ययन अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के किसी एक सेमेस्टर में अन्य संकाय से उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) में एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है।

### पाठ्यक्रम अधिगम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

#### बी0ए0 कार्यक्रम

कला स्नातकों हेतु एक ऐसा विचार आधारित कार्यक्रम संचालित किया जाए जो कि मानविकी एवं विभिन्न ललित कलाओं से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक हो। पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि छात्र-छात्राएं विषय के मूल सिद्धान्तों को समझ सकें एवं उनमें विषयगत ज्ञान के साथ-साथ बौद्धिक क्षमता, भाषाई कौशल, प्रभावी लेखन शैली आदि की समझ विकसित हो सके और इसके पश्चात वे परास्नातक डिग्री को समग्रता के साथ पूर्ण करने के लिए सक्षम हों तथा उनमें विश्लेषण शक्ति एवं शोध क्षमता का विकास हो।

## बी0कॉम0 कार्यक्रम

वणिज्य के स्नातक (बी0कॉम) में तीन वर्ष का कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद छात्र-छात्राओं को लेखांकन, वित्त, कराधान, बैंकिंग एवं कॉर्पोरेट कानून का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तीन वर्ष का यह पाठ्यक्रम कई विशेषज्ञता और व्यावहारिक एक्सपोजर करेगा। साथ ही वणिज्य एवं व्यापार में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए यह पाठ्यक्रम छात्र-छात्राओं को सक्षम बनाता है एवं छात्र-छात्राओं के बीच रचनात्मकता का माहौल बनाए रखता है। साथ ही उनको स्नात्कोत्तर डिग्री एवं शोध के लिए भी तैयार करता है।

## बी0एस0सी0 कार्यक्रम

विज्ञान में दो ग्रुप संचालित है 1. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान तथा ग्रुप 2. में भौतिक विज्ञान, गणित व रसायन विज्ञान है जिससे विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथ्यों को जानकर सभी विषयों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सकें तथा विज्ञान संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकें। विद्यार्थी समझ सकें कि उनका ज्ञान समाज हित में किस तरह उपयोगी हो सकता है। छात्र स्नातक (बी0एस0सी0) के आधार पर ही इसके उपरान्त स्नातकोत्तर व अन्य पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

## प्रवेश संबंधी नियम

महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को शासन और विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करना होगा।

चौ0 चरण सिंह वि0 वि0 मेरठ द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रेष्ठता सूची एवं शासन व विश्वविद्यालय द्वारा घोषित निर्देशों के आधार पर प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति के सम्मुख प्रवेशार्थियों को समस्त प्रपत्र एवं प्रमाणपत्रों सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। तिथि एवं समय की सूचना महाविद्यालय सूचनापट्ट के द्वारा ही दी जायेगी। किसी अन्य प्रकार से नहीं। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात नियमित रूप से सूचनापट्ट पर अंकित सूचनाएं प्राप्त करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा। समस्त प्रवेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा घोषित निर्देशों के अनुसार ही स्वीकृत एवं मान्य किये जायेंगे और इनमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तन भी महाविद्यालय द्वारा लागू किये जायेंगे।

1. समस्त छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि ये प्रवेश से पूर्व इस विवरणिका का अध्ययन अवश्य करें और अपना आवेदन स्वयं अपनी हस्पलिपि में साफ-साफ भरें तथा पूर्ण हस्ताक्षर करें।

2. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं का चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की वेबसाइट [www.ccsuweb.in](http://www.ccsuweb.in) पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। विश्वविद्यालय में पंजीकरण ऑनलाइन प्रारम्भ होता है। पंजीकरण (Registration) न होने की अवस्था में प्रवेश नहीं मिल पायेगा।
3. महाविद्यालय में पंजीकरण (Registration) की अन्तिम तिथि चौ0 चरण सिंह विश्व विद्यालय, मेरठ द्वारा निर्धारित होगी।
4. महाविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र-छात्राओं को अपने माता-पिता/संरक्षक के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
5. प्रवेश में आरक्षण सम्बन्धी शासन के सभी नियमों का पालन किया जायेगा।
6. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सूचनाएँ/नियमों की जानकारी के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अध्ययनकाल में महाविद्यालय का सूचना पट्ट अवश्य देखें तथा उसी के अनुसार अध्ययन सम्बन्धी, छात्रवृत्ति, परीक्षा, खेल कूद तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें।

### प्रवेश नियम

1. तीनों संकायों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन /विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षण संबंधी अन्य प्रवेश नियमों का लाभ नियमानुसार देय होगा। आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अतिरिक्त अनारक्षित वर्गों को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को आरक्षण शासन/विश्वविद्यालय नियमानुसार देय होगा।
  - अ. अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25% सीमा तक ही होंगे।
  - ब. छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत का आरक्षण EWS कैटेगरी के लिये लागू होगा।
  - स. प्रवेश सत्र 2021-22 से ट्रान्सजेन्डर के लिये भी प्रवेश मान्य होगा। ट्रान्सजेन्डर के लिये कोई भी आरक्षण न होने के कारण उसे मेरिट लिस्ट में पुरुष श्रेणी में ही माना जायेगा।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को अभिभावक का नवीनतम आय प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र तथा आधार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया-प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ लगाई जानी अनिवार्य है। सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3. विषय चयन करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आपेक्षित है—
  - i. प्रत्येक विषय में सीट सीमित हैं। अतः विषय में मेरिट के आधार पर वरीयता मिलेगी। छात्र-छात्राएँ विषयों का चयन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नियम एवं निर्देशन में उपलब्ध विषयों के आधार पर ही करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
  - ii. केवल वही विषय अनुमन्य होंगे जिनमें स्थान रिक्त है।
  - iii. प्रवेश के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. प्रवेशार्थियों की योग्यता/वरीयता का निर्धारण अर्ह परीक्षा के अंको के प्रतिशत के आधार पर जोड़ा जा सकेगा।
  - i. राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता हेतु 4 प्रतिशत।
  - ii. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों/पति/पत्नी हेतु 4 प्रतिशत।
  - iii. एन0सी0सी0 के 'सी' अथवा 'जी2' प्रमाणपत्र धारक को 3 प्रतिशत तथा बी अथवा 'जी'1 प्रमाणपत्र धारक को 2 प्रतिशत।
  - iv. स्काउटिंग में इण्टरमीडिएट स्तर पर द्वितीय सोपान एवं तृतीय सोपान उत्तीर्ण करने हेतु क्रमशः 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा राज्यपाल पुरस्कार अथवा राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने पर क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत।
  - v. राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार अधिभार देय होगा।
  - vi. किसी भी स्थिति में अधिकतम अधिभार सीमा 8 प्रतिशत ही रहेगी किन्तु चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए यह सीमा अधिकतम 12 प्रतिशत होगी।
5. प्रत्येक वर्ष के शैक्षणिक अन्तराल के लिए पाँच प्रतिशत अंक प्राप्ताकों में से कम करके योग्यता का निर्धारण होगा।
6. प्रतिभार के कारण श्रेणी के ऊपर वरीयता/अधिमान नहीं होगा।
7. किसी भी विदेशी विद्यार्थी का तब तक न तो पंजीकरण होगा और न ही प्रवेश, जब तक वह चौ0 चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता। प्रवेश के समय उसे मेरठ मण्डल/गाजियाबाद के पुलिस विभाग की अनुमति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।



8. सेवारत/कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता की लिखित अनुमति का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

9. किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेशार्थ तभी विचार किया जा सकेगा जबकि पूर्व में उनके द्वारा पठित कार्यक्रम चौ०चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो तथा कुल सचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से इस आशय की अनुमति प्राप्त कर ली हो।

10. प्रवेश संबंधी कोई सूचना असत्य पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। बिना प्रवेश समिति की संस्तुति के किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश या उसके द्वारा जमा फीस मान्य नहीं होगी।

11. निम्नांकित के विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश देय नहीं होगा।

क. जो परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते हुये या प्रयोग करने का प्रयत्न करते हुये पकड़ा गया हो अथवा जिसके द्वारा परीक्षा कक्ष में अभद्र व्यवहार किया गया हो।

ख पुलिस अभिलेख में नाम दर्ज अथवा अपराध आरोपित विद्यार्थी।

ग. प्राचार्य ऐसे किसी भी प्रवेशार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश, पुनः प्रवेश बिना कारण बताये वंचित कर सकते हैं। जिसका प्रवेश उनकी दृष्टि में महाविद्यालय के अनुशासन एवं शान्ति व्यवस्था के हित में न हो।

घ. किसी भी विद्यार्थी का कार्य एवं आचरण असन्तोषजनक होने पर उसे महाविद्यालय से किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है।

ड. किसी ऐसे प्रवेशार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसे अनुशासन परिषद द्वारा दुर्व्यवहार, हिंसा, गुण्डागर्दी, अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की निंदा अथवा उनके अभद्र व्यवहार का दोषी पाया गया है।

12. निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने एवं निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न कराए जाने पर प्रवेशार्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा और उसके स्थान पर वरीयता क्रम में दूसरे को प्रवेश दे दिया जायेगा।

13. महाविद्यालय में गलत सूचना दिये जाने के कारण, एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर अथवा किन्हीं अन्य कारणों से महाविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किये जाने पर कार्यालय में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में छात्र/छात्रा को वापिस नहीं होगा।

14. निम्नलिखित कार्यकलापों में लिप्त पाये जाने वाले छात्र-छात्राओं के विरुद्ध महाविद्यालय से निष्कासन तथा विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/उ0प्र0 शासन के नियानानुसार अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(क) महाविद्यालय तम्बाकू मुक्त परिसर है। महाविद्यालय परिसर में नशीले पदार्थ का सेवन, धूम्रपान, गुटका-पान इत्यादि का सेवन करने पर।

(ख) जाली हस्ताक्षर अथवा गलत शपथ पत्र तथा अन्य कोई गलत सूचना देने पर।

(ग) महाविद्यालय भवन, फर्नीचर एवं शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने तथा किसी प्रकार की अनुशासन-हीनता करने पर।

15. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, अशोभनिय कृत्य, मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान आदि पूर्ण रूपेण वर्जित है। महाविद्यालय आपका है इसे स्वच्छ रखें। महाविद्यालय प्रांगण में गंदगी फैलाना अथवा दीवारों को गंदा करना, किसी प्रकार की तोड़-फोड़ करना अनुशासनहीनता मानी जाएगी एवं इसके लिए छात्र/छात्रा कठोर दण्ड के पात्र होंगे।

16. महाविद्यालय एक पॉलिथीन मुक्त परिसर है। यहाँ पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णरूपेण वर्जित है।

17. महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा मोबाईल 'साइलेन्ट' मोड पर रखा जाये, मोबाइल बजता पाये जाने पर विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

### आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त जानकारी पूर्ण रूपेण भरी जानी आवश्यक है।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट आउट निकालकर निर्दिष्ट स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो नाम व तिथि सहित चस्पा किया जायें।
- कुल 08 फोटो की आवश्यकता है।
- महाविद्यालय में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करने की आवश्यकता है।

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका।
2. पूर्व संस्था से प्राप्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रति व स्वाप्रमाणित छाया प्रति।
3. व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में कक्षा उत्तीर्ण किये जाने पर राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक/समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
4. व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इण्टरमीडिएट की परीक्षा यदि उत्तीर्ण हो तो हाईस्कूल या जो भी अन्तिम कक्षा संस्थागत विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, उसी संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करें।
5. गाज़ियाबाद जिले के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद या उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी टी0सी0 अपने विद्यालय से काउन्टर साईन कराकर जमा करें।
6. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कोई अन्य बोर्ड से पास प्रवेशार्थियों हेतु प्रवजन प्रमाणपत्र (माइग्रेसन सार्टिफिकेट) की मूल एवं छाया प्रतिलिपि।
7. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के निवासी प्रवेशार्थी को अपने मूल निवास प्रमाणपत्र की मूल एवं छाया प्रति।
8. आरक्षित वर्ग के सभी प्रवेशार्थी अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। जिन विद्यार्थियों के अभिभावक किसी भी सेवा में हो उन्हें संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
9. मूल निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व महाविद्यालय में जमा शुल्क रसीद की छाया प्रति।
10. अतिरिक्त प्रतिभार प्राप्त करने के लिए खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट-गाइड आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।

## आरक्षण एवं प्रतिभार

1. यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/वि0वि0 से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों की संख्या कुल सीट की प्रतिशत विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
2. उ0प्र0 से बाहर की संस्थाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वि0वि0 नियमानुसार होगी।
3. आरक्षण संबंधी प्रतिभार प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. प्रथम वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. सरकारी कर्मचारियों/स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनके आश्रितों का प्रवेश वि0वि0 कुलपति की पूर्व अनुमति प्राप्त होने तथा स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में ही संभव होगा।
6. एक संकाय में प्रवेश होने के पश्चात दूसरे संकाय में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में सम्भव नहीं होगा।
7. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा। एक संकाय का आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे संकाय में प्रवेश हेतु हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

## उपस्थिति (Attendance)

1. कक्षाएं प्रारम्भ होने पर विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक विषय की कक्षा में शुल्क रसीद/Provisional I-card दिखाकर प्रत्येक विद्यार्थी को नाम लिखवाना अनिवार्य है।
2. 15 दिन तक कक्षा में नाम न लिखवाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
3. छात्र/छात्राओं द्वारा लिये गये प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी आवश्यक है। उक्त प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी।
5. विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले प्राध्यापक से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर लेनी चाहिये। यह उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

## छात्रवृत्ति हेतु दिशा-निर्देश

1. छात्र-छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. बैंक का बचत खाता जिला गाजियाबाद का एवं छात्र-छात्राओं का स्वयं का होना अनिवार्य है तथा छात्र-छात्राओं को अपना बैंक बचत खाता आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है।
3. आय प्रमाण पत्र नवीनतम हो जिसकी आय सीमा दो लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये।
4. छात्र-छात्रा के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता होगी।

## महाविद्यालय गणवेश (Uniform)

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त छात्र-छात्राओं हेतु निम्नानुसार गणवेश निर्धारित किया गया है।

छात्र – सफेद कमीज़ (पूरी बाँहो की), काली पैन्ट एवं काले औपचारिक जूते।

छात्राएं – सफेद कुर्ता एवं सफेद सलवार व काला दुपट्टा।

सफेद कमीज़ (पूरी बाँहो की), काली पैन्ट, काले जूते।

सभी विद्यार्थियों हेतु शीत ऋतु में काला स्वेटर/काला कोट/काली जैकेट।

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु समस्त छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन निर्धारित गणवेश (Uniform) में आना अनिवार्य है। अन्यथा निर्धारित दण्ड देय होगा।

प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय का परिचय पत्र बनवाना होगा एवं प्रतिदिन महाविद्यालय में आने पर उसे अपने पास रखना होगा। जब भी परिचय पत्र माँगा जायेगा उसे दिखाना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा। अन्यथा उस पर दण्ड लगाया जाएगा।

## शास्ता मंडल

शास्ता मंडल विद्यार्थियों में स्वानुशासन की क्षमता व उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निर्देश एवं सहयोग प्रदान करता है। महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करना, अध्ययन में अवरोध उत्पन्न करना तथा महाविद्यालय में शांति व्यवस्था भंग करने एवं किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर शास्ता मण्डल द्वारा संस्तुत छात्र-छात्रा का प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

### एन्टी-रैगिंग हेतु नियमावली

1. महाविद्यालय रैगिंग मुक्त परिसर है।
2. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग निषिद्ध है। इस हेतु एक एन्टी-रैगिंग सैल का गठन भी किया गया है। यदि कोई भी छात्र-छात्रा रैगिंग में लिप्त पाये जाते हैं तो एन्टी-रैगिंग सैल द्वारा उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक/पुलिस कार्यवाही की जायेगी तथा तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय से उसका निष्कासन किया जा सकता है। एन्टी-रैगिंग सैल का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि महाविद्यालय में शान्ति एवं अनुशासन स्थापित हो जिससे छात्र-छात्राओं को एक स्वस्थ वातावरण प्राप्त हो सके।
3. रैगिंग संबंधी शिकायत की जानकारी के लिए विद्यार्थी एंटी रैगिंग पोर्टल: [www.antiragging.in](http://www.antiragging.in) पर लॉगिन कर सकते हैं और [www.amanmovement.org](http://www.amanmovement.org) पर भी जा सकते हैं।

### 4. एन्टी-रैगिंग ऑनलाइन शपथ पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-

यूजीसी नियमों के तहत प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं उनके माता-पिता/अभिभावक के लिए यह अनिवार्य है कि प्रवेश के समय प्रत्येक वर्ष एक ऑनलाइन रैगिंग विरोधी शपथ पत्र महाविद्यालय में जमा करें।

(i) ऑनलाइन एन्टी-रैगिंग शपथ पत्र की आवेदन प्रक्रिया सरल एवं समान है जिसके तीन चरण निम्न हैं।

चरण 1: लॉग ऑन करें [www.antiragging.in](http://www.antiragging.in) व [www.amanmovement.org](http://www.amanmovement.org) ऑनलाइन शपथ पत्र नामक बटन पर क्लिक करें।

चरण 2: मांगी गयी समस्त जानकारी पूर्ण रूप से भरें और प्रपत्र को जमा (Submit) करें।

चरण 3: सफलतापूर्वक प्रपत्र पूर्ण होने पर शपथ पत्र, छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता को दी गयी ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगा।

(ii) यदि ऑनलाइन फार्म भरते समय विद्यार्थी से कोई त्रुटि हो जाती तो वह पुनः फार्म भर सकते हैं।

नोट:- ऑनलाइन फार्म भरकर उसका प्रिन्ट निकालकर अपने प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

एन्टी- रैगिंग हैल्पलाइन नंबर-18001805522

ई-मेल- [helpline@antiragging.in](mailto:helpline@antiragging.in)

(iii) महाद्यालय परिसर में महाविद्यालय की कार्यावधि में रैगिंग होने की स्थिति में तुरन्त निम्न पदाधिकारियों से सम्पर्क करें।

डॉ ज्योति यादव (प्रभारी प्राचार्या)	—	8376029940
डॉ0 राजीव वर्मा (चीफ प्रोक्टर)	—	9971381593
डॉ ज्योति यादव	—	8376029940
डॉ0 उपदेश वर्मा	—	7599182718
डॉ0 निधि शुभानन्द	—	9911286574
डॉ0 श्वेता शर्मा	—	7840002478
डॉ0 प्रियंका	—	9958017543
डॉ0 भगत सिंह	—	9953982046
डॉ0 उत्तम शर्मा	—	8954055060
डॉ0 वसीम मंसूर	—	8601603835
डॉ0 मीनू वार्ष्णेय	—	9818979386
डॉ0 विनोद कुमार	—	92501201121
डॉ0 अनु मिश्रा	—	8726768745
डॉ0 दीपक कुमार	—	9958537724

## पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ

शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ महाविद्यालय छात्र-छात्राओं की कलात्मक एवं रचनात्मक क्षमता के विकास हेतु वर्ष भर क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न दिवसों का आयोजन करता है।

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना** : महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ कार्यरत हैं।  
राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवाशक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में, समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करने के साथ-साथ अनुशासन, राष्ट्र-प्रेम एवं एकता की भावना विकसित होती है।
2. **रोवर्स/रेंजर्स** : महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की एक-एक इकाई कार्यरत है।  
रोवर्स/रेंजर्स का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित में कार्य करना सिखाता है।
3. **एन0सी0सी0** : महाविद्यालय में 13 यू0पी गर्ल्स बटालियन के अन्तर्गत एन0 सी0 सी0 की छात्रा यूनिट संचालित है।
4. **महिला प्रकोष्ठ** : महाविद्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ भी है।  
जिसमें छात्राएं अपनी समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के शोषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकती हैं। छात्राओं से सम्पर्क बैठक, प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि कार्यक्रम भी महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
5. **विभागीय परिषद्** : महाविद्यालय में प्रत्येक विषय की विभागीय परिषद् है। जो छात्र-छात्राओं के विषयगत विकास हेतु वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है।
6. **साहित्यिक-सांस्कृतिक परिषद्** : साहित्यिक-सांस्कृतिक परिषद् द्वारा महाविद्यालय में समय-समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
7. **क्रीड़ा परिषद्** : विद्यार्थियों के लिए सत्र पर्यन्त विभिन्न खेलकूदों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।
8. **नेचर क्लब/ इको क्लब** : महाविद्यालय में से पर्यावरण संरक्षण हेतु नेचर क्लब स्थापित है। महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राय इसमें सदस्य होते हैं।



## “महाविद्यालय की विशेषताये”

- राष्ट्रीय सेवा योजना की एक छात्र व एक छात्रा इकाई कार्यरत है।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) की एक छात्रा इकाई कार्यरत है।
- रोवर्स-रेन्जर्स की एक इकाई कार्यरत है।
- नेचर क्लब कार्यरत है।
- छात्रा कॉमन रूम उपलब्ध है।
- इन्डोर क्रीडा स्थल, बैडमिन्टन कोर्ट की सुविधा उपलब्ध है।
- इन्टरकॉम, इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है।
- महाविद्यालय में विभागीय परिषदों का गठन होता है।
- छात्र कल्याण एवं शिक्षण कल्याण कार्यक्रम संचालित होते हैं।
- साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद कार्यरत है।
- शिक्षक अभिभावक मण्डल गठित है।
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं अनुशासन मण्डल कार्यरत है।
- मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सामान्य व अल्पसंख्यक, निर्धन वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।
- वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रत्येक सत्र में समय पर होता है।
- प्रत्येक कार्यक्रम संचालन व आयोजनों में छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
- छात्र-छात्राओं को उचित मार्गदर्शन देने हेतु महाविद्यालय में Mentoring सुविधा प्रदान की जाती है।
- समय-समय पर छात्र-छात्राओं की Career Counseling भी की जाती है।
- महाविद्यालय में Central library, Reading Room भी उपलब्ध है।
- संस्थागत छात्र-छात्राओं को कला संकाय में स्नातक स्तर पर 07 विषयों में व विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर 05 विषयों में तथा कॉमर्स संकाय में स्नातक स्तर पर कॉमर्स विषयों में अध्ययन की सुविधा प्राप्त है।

## पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियम

1. पुस्तकालय से पुस्तक निर्गत कराने हेतु पुस्तकालय-कार्ड बनवाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रवेश रसीद एवं परिचय पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पुस्तकालय कार्ड अपरिवर्तनीय है। इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व धारक का है।
3. पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालय में जमा कराने पर ही पुस्तकें दी जायेंगी। पुस्तक वापिस करने पर कार्ड वापिस कर दिया जायेगा।
4. विद्यार्थियों को पुस्तक स्वच्छ एवं सुरक्षित रखनी होंगी अन्यथा दण्ड देय होगा।
5. विषयों से संबंधित पुस्तकें निर्धारित दिन के अनुसार ही निर्गत/वापिस की जा सकेंगी।
6. पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

वे विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा निम्नलिखित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, इस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के अधिकारी नहीं है।

### अमान्य बोर्ड के नाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संदर्भ ग्रहण करें।

यू0जी0सी के अनुसार अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संदर्भ ग्रहण करें।